ऑनलाइन एनओसी एण्ड अफिलिएशन सिस्टम ONLINE NOC & AFFILIATION SYSTEM

DR. RAM MANOHAR LOHIA AWADH UNIVERSITY, FAIZABAD

FAIZABAD-224001

पत्रांक संख्या:AWADHUUNI/संब/ 1998 /2021

दिनांक:09/06/2021

अस्थायी (पाठ्यक्रम अवधि) सम्बद्धता-आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत [illegible] सम्बद्धता समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की अनुमति (दिनांक 09/06/2021) से ABHIRAJI KANYA MAHAVIDHYALAY AMB AIKPUR KADIPUR SULTANPUR को UG स्तर पर

	Course Name	Subject Name
1	BACHELOR OF ARTS (2021-2022)	ANCIENT INDIAN HISTORY
2	BACHELOR OF ARTS (2021-2022)	ECONOMICS
3	BACHELOR OF ARTS (2021-2022)	ENGLISH LITERATURE
4	BACHELOR OF ARTS (2021-2022)	GEOGRAPHY
5	BACHELOR OF ARTS (2021-2022)	HOME SCIENCE
6	BACHELOR OF ARTS (2021-2022)	HINDI LITERATURE
7	BACHELOR OF ARTS (2021-2022)	SOCIOLOGY

पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01/07/2021 से आगामी 03 वर्षो हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1- महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र-बी मे इंगित समस्त कमियों को एक माह मे पूर्ण करते हुए परिनियम 13.30 ""The Executive Council may direct a college not to admit students to a particular class if the conditions laid down for starting the classes have, in the opinion of the Executive Council been disregarded by the college concerned. The classes may however be restarted with the prior permission of the Executive Council when the conditions are fulfilled to its satisfaction"" की व्यवस्थानुसार समयान्तर्गत कक्षा संचालन (Starting The Class) की अनुमति प्राप्त की जायेगी।

2- यह सम्बद्धता आदेश कक्षा संचालन की अनुमति नहीं है। परिनियम 13.30 की व्यवस्थानुसार कक्षा संचालन (Starting The Class) की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात अध्ययन/अध्यापन कार्य सम्पन्न कराया जायगा।

3- सम्बन्धित महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देश एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशो का पालन करेगी।

[illegible] उपरोक्त महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता [illegible] की संस्तुति की गयी है, उक्त [illegible] के [illegible] [illegible] गये इंगित समस्त कमियाँ एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा। कमियों की पूर्ति सुनिश्चित कर लेने की स्थिति में [illegible] जाते हुए अंतिम रूप से माननीय कुलपति जी से कक्षा संचालन की स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। संस्था विश्वविद्यालय के [illegible] [illegible] उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर [illegible] है।

[illegible] संस्थान/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा [illegible] शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

[illegible] संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली, अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।

7- महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।

8- संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।

9- मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

10- रिट याचिका संख्या-61859/2012 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांक: 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। कक्षा संचालन पूर्व संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित कराते हुए नियुक्ति, अनुबन्ध आदि प्रपत्र विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से एक माह में उपलब्ध कराना होगा।

कुल सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-...., उ.प्र. शासन, लखनऊ।

3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, Sultanpur मण्डल,

4. प्राचार्य, ABHIRAJI KANYA MAHAVIDHYALAY AMNAIKPUR KADIPUR SULTANPUR को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5. प्रबंधक, ABHIRAJI KANYA MAHAVIDHYALAY AMNAIKPUR KADIPUR SULTANPUR Sultanpur

6. कुलसचिव कार्यालय।

7. सम्बन्धित पत्रावली।

कुल सचिव